न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बालोतरा (राज॰)

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार, (UID No. RJ 00152)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

(1) **एमएसीटी मूल क्लेम संख्या :** 19/2024
सीआईएस नंबर : 19/2024
CNR : RJBA010001742024

01. श्रीमती रीमा कुमारी पत्नी स्वर्गीय राजीवसिंह, उम्र 47 वर्ष,
02. राजासिंह पुत्र स्वर्गीय राजीवसिंह, उम्र 27 वर्ष,
03. सन्नीसिंह पुत्र स्वर्गीय राजीवसिंह, उम्र 25 वर्ष,
04. श्वेतासिंह पुत्री स्वर्गीय राजीवसिंह, उम्र 22 वर्ष,
निवासियान राम नगर कॉलोनी, समदड़ी रोड़, पोस्ट बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा ।
05. रीतादेवी पत्नी दीवाकर प्र. सिंह, उम्र 66 वर्ष,
06. दीवाकर प्र. सिंह पुत्र रामखेलानसिंह, उम्र 78 वर्ष,
निवासियान सिंघिया 02, वार्ड नंबर 07, सिंघिया, जिला समस्तीपुर, बिहार ।
हाल निवासियान राम नगर कॉलोनी, समदड़ी रोड़, पोस्ट बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा ।

––प्रार्थीगण

बनाम

01. सौरभ पारीक पुत्र राजेश पारीक, निवासी रबारियों का टांका, पोस्ट बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा ।
(चालक वाहन कार संख्या आर जे 39 सी ए 5676)
02. सुधादेवी पत्नी राजेश पारीक, निवासी रबारियों का टांका, पोस्ट बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा ।
(मालिक वाहन कार संख्या आर जे 39 सी ए 5676)
03. इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि., पता– माणक टॉवर, द्वितीय फ्लोर, सेंट एण्ड्रू के पास, सरदारपुरा, पोस्ट जोधपुर ।
(बीमा कंपनी वाहन कार संख्या आर जे 39 सी ए 5676)

–– अप्रार्थीगण

(2) **एमएसीटी मूल क्लेम संख्या :** 20/2024
सीआईएस नंबर : 20/2024
CNR : RJBA010001752024

इलियास खान पुत्र आरब खान, उम्र 28 वर्ष, निवासी नया सोमेसरा, बागोणियो की ढाणी, अखेखां का धडा, गांव पोस्ट नौसर, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर ।

––प्रार्थी

बनाम

01. सौरभ पारीक पुत्र राजेश पारीक, निवासी रबारियों का टांका, पोस्ट बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा ।

(चालक वाहन कार संख्या आर जे 39 सी ए 5676)

02. सुधादेवी पत्नी राजेश पारीक, निवासी रबारियों का टांका, पोस्ट बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा ।

(मालिक वाहन कार संख्या आर जे 39 सी ए 5676)

03. इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि., पता– माणक टॉवर, द्वितीय फ्लोर, सेंट एण्ड्रू के पास, सरदारपुरा, पोस्ट जोधपुर ।

(बीमा कंपनी वाहन कार संख्या आर जे 39 सी ए 5676)

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम, 1988 संशोधित अधिनियम 1994

उपस्थित:–

01. श्री अरिहंत तातेड़, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से ।
02. श्री छत्रकरण भाटी, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से ।
03. श्री सवाई माहेश्वरी, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से ।

– निर्णय –

दिनांक: 14.08.2026

1. प्रार्थीगण श्रीमती रीमा कुमारी वगैरह् व इलियास खान ने दो पृथक–पृथक क्लेम प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 संशोधित अधिनियम, 1994 की धारा 166 के तहत, प्रार्थीगण श्रीमती रीमा कुमारी वगैरह् ने राजीव कुमार सिंह की दुर्घटना में हुई मृत्यु के संबंध में एवं प्रार्थी इलियास खान ने दुर्घटना में स्वयं को कारित हुई चोटों के मुआवजे हेतु क्रमशः दिनांक 10.01.2024 व 16.01.2024 को पेश किये गये । दोनों प्रार्थना पत्र एक ही दुर्घटना से संबंधित होने से दिनांक 05.06.2026 को क्लेम संख्या 20/2024 को क्लेम संख्या 19/2024 के साथ समेकित किया गया ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतक राजीव कुमार सिंह, इलियास खान के साथ दिनांक 29.11.2023 को दोपहर करीब 02.30 बजे मोटरसाईकिल नंबर आ जे 39 एस बी 7086 को धीमी गति एवं सावधानीपूर्वक

चलाकर पचपदरा से कस्बा बालोतरा की ओर जा रहे थे, जैसे ही बालोतरा में पृथ्वीराज धर्मकांटा के सामने पहुँचे तब सामने से वाहन कार संख्या आर जे 39 सी ए 5676 के चालक अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा कार को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर राजीव कुमार सिंह द्वारा सही दिशा में चलाई जा रही मोटरसाईकिल के गलत दिशा में जाकर जोरदार टक्कर मारी जिससे राजीव कुमार सिंह व इलियास खान मोटरसाईकिल सहित नीचे गिर गए जिनके गंभीर चोटें आने से इलाज हेतु राजकीय नाहटा हॉस्पीटल, बालोतरा लेकर गए, जहाँ डॉक्टर ने राजीव कुमार सिंह को मृत घोषित कर दिया । दुर्घटना की रिपोर्ट मृतक के पुत्र राजासिंह द्वारा पुलिस थाना बालोतरा में पेश की जिस पर प्रकरण सीआर नं. 459/2023 अंतर्गत धारा 279, 304(ए) भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध किया गया । बाद अनुसंधान वाहन कार संख्या आर जे 39 सी ए 5676 के चालक अप्रार्थी संख्या 01 सौरभ पारीक द्वारा वाहन कार को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित किया जाना साबित मानते हुए आरोप पत्र पेश किया । प्रार्थीगण ने दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई क्षतिपूर्ति हेतु विभिन्न मदों में माफिक क्लेम प्रार्थना पत्र मुआवजा दिलाए जाने का निवेदन किया ।

3. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने जवाब प्रस्तुत कर क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया है कि दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 01 की गलती एवं लापरवाही से कारित नहीं हुई । विकल्प में निवेदन किया कि यदि माननीय अधिकरण अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का दायित्व साबित माने तो उनका वाहन वक्त घटना अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी से बीमित होने से क्लेम अदायगी का दायित्व बीमा कंपनी का है । अतः अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरुद्ध क्लेम याचिका खारिज करने का निवेदन किया ।

4. अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कम्पनी ने जवाब प्रस्तुत कर क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया है कि घटना की रिपोर्ट विधिक राय लेकर वाहन मालिक/चालक से मिलकर तथा पुलिस से दुरभि संधि कर पेश की गई है। दुर्घटना बीमित वाहन से नहीं हुई थी । प्रार्थी ने वाहन संख्या आर जे 39 सी ए 5676 के मालिक/चालक से मिलकर उक्त रिपोर्ट तथाकथित दुर्घटना बाबत विधिक राय लेकर उक्त वाहन के मालिक और प्रार्थी द्वारा दुरभि संधि कर प्रस्तुत

की गई है, जो मात्र झूँठा क्लेम प्राप्त करने के लिए बनाई गई है । तथाकथित दुर्घटना कभी कारित नहीं हुई थी । वक्त दुर्घटना मृतक के पास मोटरसाईकिल चलाने का वैध लाइसेंस नहीं था न ही हेलमेट पहना हुआ था । मृतक द्वारा उसकी मोटरसाईकिल को तेज गति व लापरवाही से चलाने के कारण मोटरसाईकिल स्लीप हो गई थी । बीमित वाहन को दुर्घटना के 07 दिन बाद जब्त किया है जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त बीमित वाहन को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी चालक/मालिक ने पुलिस से मिलकर झूँठा संलिप्त किया है । इसलिए क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक कायम किए गए:–

01. आया दिनांक 29.11.2023 को दोपहर के करीब 02.30 बजे सरहद मौजा कस्बा बालोतरा की सरहद में बालोतरा–पचपदरा मुख्य रोड़ पर पृथ्वीराज धर्मकांटा के पास अप्रार्थी संख्या 01 ने वाहन कार संख्या आर जे 39 सी ए 5676 को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए सही साइड में चल रही मोटरसाईकिल नंबर आर जे 39 एस बी 5676 को टक्कर मारी, जिसके परिणामस्वरूप मोटरसाईकिल पर सवार राजीव कुमार सिंह की मृत्यु कारित हुई तथा इलियास खान के साधारण व गंभीर चोटें कारित हुईं ?

– प्रार्थीगण

02. आया प्रार्थीगण अपने क्लेम प्रार्थना पत्र संख्या 19/2024 में दिए गए विवरण के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्त व पृथक–पृथक क्लेम राशि 82,62,500/– प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

– प्रार्थीगण रीमा कुमारी व अन्य

03. आया प्रार्थी अपने क्लेम प्रार्थना पत्र संख्या 20/2024 में दिए गए विवरण के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्त व पृथक–पृथक क्लेम राशि 8,90,000/– प्राप्त करने

का अधिकारी है ?

– प्रार्थी इलियास खान

04. आया अप्रार्थी संख्या 03 के जवाब के "विशेष आपत्तियों" नामक शीर्षक में उल्लेखित प्रतिरक्षाओं का क्लेम प्रार्थना पत्र पर क्या प्रभाव है ?

– अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी

05. अनुतोष ?

6. प्रार्थीगण की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में ए.डब्ल्यू. 01 श्रीमती रीमा कुमारी, ए.डब्ल्यू. 02 इलियास खान व ए.डब्ल्यू. 03 रमजान अली सुमरो को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में दुर्घटना से संबंधित फौजदारी प्रकरण, इलाज के दस्तावेज, मृतक राजीव कुमार सिंह के वेतन संबंधी दस्तावेज व अन्य दस्तावेज प्रदर्श 01 से 90 तक प्रदर्शित करवाये ।

7. अप्रार्थीगण की ओर से बावजूद अवसर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी ।

8. बहस सुनी गयी । प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दुर्घटना, अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वाहन कार नंबर आर जे 39 सी ए 5676 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए मृतक की मोटरसाईकिल संख्या आर जे 39 एस बी 7086 के गलत दिशा में जाकर सामने से टक्कर मारने के कारण होना एवं दुर्घटना में राजीव कुमार सिंह व इलियास खान के साधारण व गंभीर चोटें आना एवं राजीव कुमार सिंह की मृत्यु होना साबित है । यह भी तर्क दिया कि वक्त दुर्घटना मृतक राजीव कुमार सिंह मैसर्स जी टैक्स इण्डस्ट्रीज, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बालोतरा में कलर मास्टर की नौकरी करता था जिसकी मासिक आय 50,000/– रुपये थी । पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 की लापरवाही साबित मानकर उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया है । अतः माफिक क्लेम याचिका मुआवजा दिलाने का निवेदन किया । अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किएः–

01. 2026(1) T.A.C. 718 (S.C.) Anandben Manubhai Devayatbhai Jalu Vs New India Assurance Co. Ltd.

and Others.

02. 2010(1) ACTC (Raj.) 56 Vimla Devi (Smt.) & Ors. Vs Managing Director & Ors.

03. 2015 ACJ 1239 Shashikala and other Vs Gangalakshamamma and another.

9. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वाहन कार संख्या आर जे 39 सी ए 5676 की गलती से दुर्घटना नहीं हुई थी, उन्हें मिथ्या लिप्त किया है। यह भी तर्क दिया कि यदि माननीय अधिकरण अप्रार्थी संख्या 01 की दुर्घटना के लिए उपेक्षा साबित माने तो अप्रार्थी संख्या 02 के स्वामित्व का वाहन वक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी से बीमित होने से क्लेम अदायगी का दायित्व बीमा कंपनी का है । अतः अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरुद्ध क्लेम याचिका खारिज करने का निवेदन किया ।

10. अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोराहते हुए तर्क दिया कि दुर्घटना वाहन कार नंबर आर जे 39 सी ए 5676 से घटित नहीं हुई थी परन्तु बीमा कंपनी से झूँठा क्लेम लेने के इरादे से प्रार्थीगण ने अप्रार्थी वाहन चालक व मालिक से दुरभि संधि कर बीमित वाहन को दुर्घटना में लिप्त बताकर विधिक सलाह अनुसार व पुलिस से मिलकर उक्त वाहन से दुर्घटना होना बताते हुए झूँठी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चालान प्रस्तुत करवा दिया । अतः बीमा कंपनी के विरुद्ध क्लेम याचिका खारिज करने का निवेदन किया । विकल्प में तर्क दिया कि मौका इलियास के सामने नहीं बनाया गया है, जिससे यह साबित नहीं है कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई । वक्त दुर्घटना दोनों वाहनों की आमने–सामने भिड़ंत हुई है जिससे दोनों वाहन चालकों की योगदायी उपेक्षा मानी जाए । मृतक की आय के संबंध में आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है । केवल वेतन बताने के लिए मिथ्या दस्तावेज तैयार किए गए हैं । मृतक की आय 50,000/– मासिक होना बताया है लेकिन उसके द्वारा आयकर नहीं दाखिल किया है । मृतक की आय, आयकर विवरणियों के अभाव में साबित नहीं है, अतः न्यूनतम वेतन मानकर आय की गणना की जाए । प्रार्थी संख्या 02, 03, 05 व 06 मृतक पर आश्रित नहीं है जिससे मृतक के व्यक्तिगत खर्चे के रूप में 1/3

कटौती कर मुआवजा निर्धारित करने का निवेदन किया । अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किएः–

01. R/First Appeal No. 4863 of 2022 (Gujarat HC) Hitesh Nagjibhai Patel Vs Bababhai Nagjibhai Rabari.

02. Civil Appeal No. of 2026 (Arising out of SLP(C) No. 27220 of 2024) (SC) Rashmirekha Tripathy and Anr. Vs The Branch Manager (Legal Claims), Sriram General Insurance Company Limited and Ors.

11. उभय पक्षकारान् की ओर से दिये गये तर्कों को सुना, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिस पर विवाद्यकवार मेरा निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

विवाद्यक संख्या 01

12. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था, जिनकी ओर से विवाद्यक संख्या 01 को साबित करवाए जाने हेतु मौखिक साक्ष्य में ए.डब्ल्यू. 01 श्रीमती रीमा कुमारी व ए.डब्ल्यू. 02 इलियास खान को परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में, दुर्घटना से संबंधित फौजदारी प्रकरण के दस्तावेज प्रदर्श 01 से 24 प्रदर्शित करवाये ।

13. ए.डब्ल्यू. 01 श्रीमती रीमा कुमारी ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में क्लेम प्रार्थना में वर्णित अनुसार दुर्घटना होना कथन किया है । प्रतिपरीक्षण में गवाह ने इस कथन को स्वीकार किया है कि वक्त दुर्घटना वह साथ नहीं थी इसलिए वह नहीं बता सकती कि दुर्घटना कैसे व किसकी गलती से हुई । इस कथन को गलत बताया है कि दुर्घटना उसके पति की गलती से हुई हो ।

14. ए.डब्ल्यू. 02 इलियास खान ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दुर्घटना दिनांक 29.11.2023 को राजीवसिंह के साथ वाहन मोटरसाईकिल नंबर आर जे 39 एस बी 7086 पर बैठकर दोपहर करीब 02.30 बजे पचपदरा से कस्बा बालोतरा की ओर जा रहा था । राजीवसिंह

मोटरसाईकिल को धीमी गति से चला रहा था । बालोतरा में पृथ्वीराज धर्मकांटा के सामने पहुँचे तब सामने से कार नंबर आर जे 39 सी ए 5676 के चालक अप्रार्थी संख्या 01 सौरभ पारीक ने कार को तेज गति व लापरवाही से चलाकर राजीवसिंह द्वारा सही साइड में चलाई जा रही मोटरसाईकिल को गलत साइड में जाकर सामने से जोरदार टक्कर मारी जिससे वह और राजीवसिंह मोटसाईकिल से नीचे गिर गए । उक्त दुर्घटना में लगी गंभीर चोटों के कारण राजीवसिंह की दौराने इलाज मृत्यु हो गई । दुर्घटना में उसके, मुंह, जबड़े, दाहिने घुटने तथा शरीर पर अन्य गंभीर चोटें भी लगीं । दस्तावेजी साक्ष्य में दुर्घटना से संबंधित दस्तावेज प्रदर्श 01 लगायत 24 प्रदर्शित करवाये हैं । अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से की गई जिरह में इस कथन को गलत बताया है कि दुर्घटना राजीवसिंह की गलती से घटित हुई हो । इस कथन को गलत बताया है कि वह दुर्घटना के वक्त मौके पर नहीं हो, अजखुद कहा कि वह मोटरसाईकिल के पीछे बैठा था । अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से की गई जिरह में इस कथन को सही बताया है कि वक्त दुर्घटना राजीवसिंह के हेलमेट पहना हुआ था । इस कथन को गलत बताया है कि वक्त दुर्घटना वह साथ में नहीं हो । इस कथन को गलत बताया है कि दुर्घटना उनकी लापरवाही से हुई हो । इस कथन को गलत बताया है कि वे सही साइड में नहीं चल रहे हो । इस कथन को गलत बताया है कि मोटरसाईकिल को तेज गति व लापरवाही से चला रहे हो । इस कथन को गलत बताया है कि उनकी मोटरसाईकिल रोड़ के बीचों बीच चल रही हो । इस कथन को गलत बताया है कि मोटरसाईकिल को तेज गति व लापरवाही से चलाया हो जिससे मोटरसाईकिल स्लीप हो गई हो और दुर्घटना घटित हुई हो । इस कथन को सही बताया है कि पुलिस ने उसके सामने दुर्घटनास्थल का मौका नहीं देखा । इस कथन को गलत बताया है कि मोटरसाईकिल के आगे पशु आने के कारण मोटरसाईकिल अनियंत्रित होकर गिर गई हो जिससे दुर्घटना कारित हुई हो ।

15. प्रार्थीगण ने क्लेम याचिकाओं के साथ दुर्घटना से संबंधित फौजदारी प्रकरण के दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये हैं जिसमें मृतक राजीव कुमार सिंह की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 21, फर्द सूरतहाल लाश प्रदर्श 22, फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श 23, फर्द सुपुर्दगीनामा लाश प्रदर्श 24 व आहत इलियास खान का

चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 80 हैं । उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से राजीव कुमार सिंह की दुर्घटना में मृत्यु होने तथा इलियास खान को चोटें आने का तथ्य प्रमाणित है तथा इस तथ्य को अप्रार्थीगण ने विवादित भी नहीं किया है ।

16. गवाह ए.डब्ल्यू. 02 इलियास खान वक्त दुर्घटना मृतक राजीव कुमार सिंह के साथ मोटरसाईकिल के पीछे बैठा होना बताया है, ने कार नंबर आर जे 39 सी ए 5676 के चालक अप्रार्थी संख्या 01 सौरभ पारीक द्वारा कार को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर सही साइड में जा रही मोटरसाईकिल संख्या आर जे 39 एस बी 7086 को गलत साइड में जाकर सामने से टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करना कथन किया है । इस गवाह की जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं आया है जिसके आधार पर प्रकरण में कार नंबर आर जे 39 सी ए 5676 की संलिप्तता एवं राजीव कुमार सिंह की मृत्यु होना तथा स्वयं के चोटें कारित होने के तथ्य खण्डित होते हों ।

17. लिखित रिपोर्ट प्रदर्श 02 में घटना दिनांक 29.11.2023 को दोपहर करीब 02.30 बजे की बताई है तथा रिपोर्ट उसी रोज दिनांक 29.11.2023 को 05.42 पीएम पर दर्ज करवाई है, जो अविलम्ब पेश की गई है । रिपोर्ट में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन नंबर आर जे 39 सी ए 5676 के चालक द्वारा गाड़ी को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए गलत साइड में जाकर मोटरसाईकिल के टक्कर मारने बाबत स्पष्टतः उल्लेख है ।

18. अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा यह बचाव लिया है कि नक्शा मौका इलियास के रूबरू नहीं बनाया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई तथा दुर्घटना दोनों के वाहन आमने–सामने टकराने से घटित हुई है जिसमें मृतक की योगदायी उपेक्षा मानी जाए । चश्मदीद गवाह इलियास खान ए.डब्ल्यू. 02 ने दुर्घटना वाहन कार नंबर आर जे 39 सी ए 5676 के चालक अप्रार्थी संख्या 01 सौरभ पारीक द्वारा कार को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए गलत साइड में जाकर सही साइड में चल रही उनकी मोटरसाईकिल के सामने से टक्कर मारना कथन किया है । अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से की गई जिरह में इस कथन को गलत बताया है कि मोटरसाईकिल तेज गति व लापरवाही से रोड़ के बीचों बीच चल रही हो । यह गवाह घटना का चश्मदीद गवाह है जिसने

दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा वाहन कार को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए उसकी साइड छोड़कर सही दिशा में चल रहे मोटरसाईकिल के टक्कर मारना स्पष्ट कथन किया है जिसका जिरह में कोई खण्डन नहीं है । इस कारण से नक्शा मौका इलियास खान के रूबरू नहीं देखने मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि दुर्घटना में मृतक राजीव कुमार सिंह की योगदायी उपेक्षा रही हो । दुर्घटना आमने–सामने होने मात्र से ही योगदायी उपेक्षा नहीं मानी जा सकती है । नक्शा मौका प्रदर्श 04 में दुर्घटनास्थल सड़क के एकदम किनारे की तरफ होकर मृतक जिस दिशा में जा रहा था उस दिशा की सही साइड बताई है । प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थीगण की कोई साक्ष्य नहीं है । इस प्रकार प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से दुर्घटना एक मात्र अप्रार्थी संख्या 01 की गलती एवं लापरवाही के परिणामस्वरूप होना साबित है ।

19. प्रार्थीगण की ओर से धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श 09 प्रदर्शित करवाया है, जिसमें वाहन कार नंबर आर जे 39 सी ए 5676 की मालकिन श्रीमती सुधादेवी पारीक ने दिनांक 29.11.2023 को वक्त दुर्घटना उसकी कार पर ड्राईवर सौरभ पारीक होना बताया है ।

20. नोटिस अंतर्गत धारा 134 एमवी एक्ट, प्रदर्श 10 भी प्रार्थीगण ने प्रदर्शित करवाया है । नोटिस प्रदर्श 10 के जवाब में सौरभ पारीक ने दिनांक 29.11.2023 को वक्त दुर्घटना वाहन कार नंबर आर जे 39 सी ए 5676 को स्वयं द्वारा चलाना बताया है ।

21. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का समर्थन व पुष्टि फौजदारी कार्यवाही के दस्तावेजात से भी होती है । पुलिस ने भी बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 सौरभ पारीक की दुर्घटना में उपेक्षा व लापरवाही मानते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है । इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य साबित है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 29.11.2023 को समय दोपहर करीब 02.30 बजे कस्बा बालोतरा की सरहद में बालोतरा–पचपदरा मुख्य रोड़ पर पृथ्वीराज धर्मकांटा के पास वाहन कार संख्या आर जे 39 सी ए 5676 को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए सही साइड में चल रही मोटरसाईकिल नंबर आर जे 39 एस बी 5676 को टक्कर

मारी, जिसके परिणामस्वरूप मोटरसाईकिल पर सवार राजीव कुमार सिंह की मृत्यु हुई तथा इलियास खान के साधारण व गंभीर चोटें आईं ।परिणामस्वरूप विवाद्यक संख्या 01 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है ।

विवाद्यक संख्या 02 (क्लेम संख्या 19/2024)

22. इस विवाद्यक को तय किये जाने हेतु सर्वप्रथम मृतक राजीव कुमार सिंह की आयु व आय का निर्धारण किया जाना आवश्यक है । इस विवाद्यक को साबित करवाये जाने हेतु प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में ए.डब्ल्यू. 01 श्रीमती रीमा कुमारी ने उसके पति राजीव कुमार सिंह की आयु दुर्घटना के वक्त 50 वर्ष 09 माह व 27 दिन होना बताया है । आयु के संबंध में मृतक का आधार कार्ड प्रदर्श 25 ए, ड्राइविंग लाइसेंस प्रदर्श 26 ए व पैन कार्ड प्रदर्श 27 ए प्रदर्शित करवाये हैं जिन सभी में मृतक राजीव कुमार सिंह की जन्मतिथि 02.02.1973 उल्लेखित है एवं दुर्घटना दिनांक 29.11.2023 को घटित हुई है इस अनुसार दुर्घटना की तारीख को मृतक की आयु 50 वर्ष 09 माह व 27 दिन होना साबित है ।

23. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ***2015 ACJ 1239 Shashikala and other Vs Gangalakshamamma and another*** के मामले में मृतक की जन्मतिथि 16.06.1961 थी । दुर्घटना की तिथि, अर्थात् दिनांक 14.12.2006 को मृतक की आयु 45 वर्ष 05 महीने और 28 दिन थी, लेकिन न्यायाधिकरण ने उसकी आयु 46 वर्ष मानकर इस अनुसार गुणक का उपयोग किया परन्तु माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मृतक की आयु 45 वर्ष मानकर गुणक प्रयुक्त करना निर्धारित किया जिसे बरकरार रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मृतक द्वारा 45 वर्ष की ही आयु पूरी किए जाने के कारण, मृतक की आयु 45 वर्ष मानते हुए प्रतिकर राशि का निर्धारण करना उचित माना है ।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक निर्णय में प्रतिपादित मतानुसार राजीव कुमार सिंह की आयु 50 वर्ष पूर्ण होना एवं उसके द्वारा 51 वर्ष की आयु अभी पूरी नहीं किये जाने से मुआवजे की गणना किये जाने हेतु 13 का

गुणक प्रयोग में लिया जाना न्यायोचित है ।

25. जहां तक मृतक की आय का प्रश्न है, प्रार्थीगण ने क्लेम प्रार्थना–पत्र में एवं ए.डब्ल्यू. 01 श्रीमती रीमा कुमारी ने उसके कथनों में मृतक का मैसर्स जी टैक्स इण्डस्ट्रीज में कलर मास्टर के पद पर नौकरी करना एवं मासिक आय 50,000/– रुपये होना बताया है । मृतक मैसर्स जी टैक्स इण्डस्ट्रीज में कार्यरत होने व आय से संबंधित दस्तावेजात प्रदर्श 27 लगायत प्रदर्श 69 व मृतक के बैंक स्टेटमेंट प्रदर्श 76 से प्रदर्श 79 प्रदर्शित करवाए हैं । अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से की गई जिरह में कथन किया है कि उसके तीन संतान हैं जिसमें से दो लड़के राजासिंह व सन्नीसिंह फैक्ट्री में काम करते हैं । राजासिंह शादीशुदा व सन्नीसिंह कुंवारा है । इस कथन को सही बताया है कि उसके सास–ससुर उसके देवर संजीवसिंह के साथ रहते हैं । उसके पति दुर्घटना के वक्त रमजानजी की फैक्ट्री में काम करते थे । इस कथन को सही बताया है कि उसके पति इनकम टैक्स नहीं भरते थे । इस कथन को गलत बताया है कि प्रदर्श 27 ए से 46 ए उनके द्वारा कूटरचित व फर्जी तैयार किए हों । इस कथन को सही बताया है कि प्रदर्श 27 ए से 46 ए दस्तावेज वह रमजानजी की फैक्ट्री से लेकर आई है । इस कथन को गलत बताया है कि प्रदर्श 47 से प्रदर्श 68 दस्तावेज कूटरचित व जाली हो । इस कथन को सही बताया है कि प्रदर्श 47 से 69 पर कोई हस्ताक्षर व सील नहीं है । इस कथन को सही बताया है कि उसके पति प्राइवेट नौकरी करते थे जो अस्थायी तौर पर करते थे । इस कथन को सही बताया है कि उसके पति के नियोक्ता के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इस कथन को सही बताया है कि प्रदर्श 69 पर कोई सील व हस्ताक्षर नहीं है।इस कथन को सही बताया है कि प्रदर्श 27 से प्रदर्श 49 पर किसी भी फर्म के मैनेजर, प्रोपराइटर के हस्ताक्षर नहीं है ।

26. ए.डब्ल्यू. 03 रमजान अली सुमरो का कथन है कि वह जी. टैक्स इण्डस्ट्रीज फर्म के नाम से बतौर प्रोपराइटर/मालिक व्यवसाय करता है जो कस्बा बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय चरण, जी–1–24 में स्थित है जिसमें कपड़े को प्रोसेस किया जाता है । उपरोक्त प्रतिष्ठान प्रोपराइटरशीप प्रतिष्ठान है जिसके समस्त लेनदेन व कार्य इत्यादि उसके द्वारा ही बतौर प्रोपराइटर किए

जाते हैं । मृतक राजीव कुमार सिंह उसके उक्त प्रतिष्ठान में कलर मास्टर के रूप में कार्यरत था । उसकी फर्म जीएसटी पंजीबद्ध फर्म है जिसमें उसके द्वारा दिए जाने वाले वेतन के संबंध में वेतन का रजिस्टर संधारित किया जाता है जो क्लेम प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया है । मृतक राजीव कुमार सिंह को कलर मास्टर का कार्य करने हेतु मासिक 50,000/– रुपये बतौर वेतन उसके द्वारा अदा किया जाता था जिसका इन्द्राज वेतन रजिस्टर में दर्ज है तथा उपरोक्त वेतन का भुगतान उसके द्वारा जरिये ऑनलाइन एवं आरटीजीएस किया जाता था जिसका बैंक स्टेटमेंट क्लेम के साथ पेश किया गया है । राजीव कुमार सिंह एक कुशल कर्मचारी था जिसके काम से वह पूर्ण रूप से संतुष्ट था जिसे किसी तरह की कोई बुरी आदत नहीं थी जिसकी दुर्भाग्य से दिनांक 29.11.2023 को सड़क दुर्घटना में राजीव कुमार सिंह की मृत्यु हो गई । दस्तावेजी साक्ष्य में वेतन वितरण विवरण प्रदर्श 47 से 46, फर्म का खाता प्रदर्श 47 से 69, फर्म का जीएसटी प्रमाण पत्र प्रदर्श 88, फर्म का मस्टर रोल रजिस्टर प्रदर्श 89 जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 89ए तथा वर्ष 2023 का मस्टर रोल रजिस्टर प्रदर्श 90 जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 90ए प्रदर्शित करवाये हैं । अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से की गई जिरह में इस कथन को सही बताया है कि मृतक राजीव कुमार सिंह उसके प्रतिष्ठान फर्म में नियुक्त होने बाबत नियुक्ति प्रमाण पेश नहीं किया है, अजखुद कहा कि वेजेज रजिस्टर व मस्टर रोल रजिस्टर पेश किया है । इस कथन को गलत बताया है कि उनके फर्म के द्वारा मृतक को वेतन का भुगतान नहीं किया गया हो । इस कथन को सही बताया है कि उनकी फर्म का लेबर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है, अजखुद कहा कि जीएसटी प्रमाण पत्र पेश किया है। इस कथन को सही बताया है कि मृतक का आयकर रिटर्न पेश नहीं किया है । उसकी फर्म वर्ष 2021 से प्रारंभ हुई थी, जिसमें करीबन 20 से 50 के मध्य कर्मचारी कार्य करते हैं जो घटते व बढ़ते रहते हैं । इस कथन को सही बताया है कि उसकी फर्म सरकारी फर्म नहीं है । इस कथन को गलत बताया है कि उसकी फर्म में स्थायी रूप से कर्मचारी नियुक्त नहीं हो । इस कथन को सही बताया है कि जीपीएफ, पीएफ वगैरह् निर्देशानुसार काटा जाता है । इस कथन को सही बताया है कि उसने मृतक राजीव कुमार सिंह के जीपीएफ व पीएफ संबंधित दस्तोवज

पेश नहीं किए, अजखुद कहा कि कटता नहीं था इसलिए पेश नहीं किए । इस कथन को सही बताया है कि उसने आयकर के दस्तावेज पेश नहीं किए हैं । इस कथन को गलत बताया है कि उनके यहाँ कार्यरत श्रमिकों का वेतन का भुगतान चैक से नहीं किया हो, अजखुद कहा कि जरुरत अनुसार ऑनलाइन व रोकड़ भुगतान किया जाता है । इस कथन को सही बताया है कि मस्टर रोल पर किसी सरकारी कार्यालय में पेश करने के संदर्भ में उसका कोई नोट अंकित नहीं है तथा न ही सील लगी हुई है । इस कथन को सही बताया है कि प्रदर्श 27 से 46 में राजीव सिंह को किये भुगतान के बारे में मजदूरी या वेतन अंकित नहीं है, अजखुद कहा कि मृतक को बतौर वेतन ही भुगतान किया गया था । इस कथन को सही बताया है कि लेबर रजिस्टर की कॉपी आयकर विभाग में प्रस्तुत की गयी हो इस संबंध में उन्होंने कोई प्रति पेश नहीं की। इस कथन को गलत बताया है कि इलियास उसके यहाँ काम नहीं करता हो। इस कथन को गलत बताया है कि उसने झूँठे व कूटरचित दस्तावेज पेश किये हों।

27. प्रार्थीगण ने मृतक राजीव कुमार सिंह का मैसर्स जी टैक्स इण्डस्ट्रीज, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बालोतरा में कार्यरत होना बताया है । प्रार्थीगण की ओर से प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श 88 जी. टैक्स इण्डस्ट्रीज का पंजीयन प्रमाण पत्र है जिसके अवलोकन से उक्त फर्म का मालिक रमजान अली सुमरो होना पाया जाता है । ए.डब्ल्यू. 03 रमजान अली सुमरो ने मृतक राजीव कुमार सिंह उसकी उक्त फर्म में कार्यरत होना एवं उसे मासिक 50,000/– रुपये वेतन दिया जाना कथन किया है । मृतक राजीव कुमार सिंह के उक्त फर्म में कार्यरत होने बाबत जी. टैक्स इण्डस्ट्रीज, बालोतरा के मस्टर रोल रजिस्टर प्रदर्श 89ए, 90ए व 91ए प्रदर्शित करवाए हैं जिनमें मृतक राजीव कुमार सिंह का नाम सबसे ऊपर है एवं अन्य कार्यरत कर्मचारियों के नाम भी अंकित है । प्रदर्श 89ए, 90ए व 91ए के अवलोकन से मृतक जी. टैक्स इण्डस्ट्रीज, बालोतरा में कार्यरत होना साबित है । गवाह ने मृतक राजीव कुमार सिंह को वेतन भुगतान के संबंध में वेतन विवरण प्रदर्श 27ए से 46ए प्रदर्शित करवाए हैं जिनके अवलोकन से मृतक राजीव कुमार सिंह को प्रतिमाह 50,000/– रुपये वेतन दिया जाना साबित होता है जिसकी पुष्टि प्रदर्श 69 जी. टैक्स इण्डस्ट्रीज में मृतक राजीव कुमार सिंह के खाते की

लेजर है जिसके अवलोकन से मृतक को, फर्म के एचडीएफसी बैंक खाते के से प्रतिमाह 50,000/– रुपये वेतन दिया जाना साबित होता है एवं फर्म जी. टैक्स इण्डस्ट्रीज के एचडीएफसी बैंक खाते के स्टेटमेंट प्रदर्श 47 से 68 के अवलोकन से फर्म के खाते से मृतक राजीव कुमार सिंह के खाते में NEFT, IMPS इत्यादि के द्वारा प्रतिमाह 50,000/– ट्रांसफर (Debit) होना व मृतक राजीव कुमार सिंह के बैंक खाते के स्टेटमेंट प्रदर्श 76 से 78 के अवलोकन से मृतक के खाते में फर्म जी. टैक्स इण्डस्ट्रीज से NEFT, IMPS इत्यादि के द्वारा प्रतिमाह 50,000/– रुपये जमा (Credit) होना साबित होता है। गवाह ने उसकी फर्म में कार्यरत कार्मिकों को चैक के अलावा, ऑनलान, रोकड़ व RTGS के द्वारा भी वेतन का भुगतान करना कथन किया है।

28. जी. टैक्स इण्डस्ट्रीज, बालोतरा के मस्टर रोल रजिस्टर प्रदर्श 89ए, 90ए व 91ए के अवलोकन से मृतक 01 अप्रेल, 2022 से लगातार उक्त फर्म में कार्यरत होना प्रकट होता है परन्तु ए.डब्ल्यू. 03 रमजान अली सुमरो ने दौराने जिरह यह कथन किया है कि मृतक राजीव कुमार सिंह के जीपीएफ व पीएफ संबंधी दस्तावेज पेश नहीं किए हैं, क्योंकि कटता नहीं था।

29. अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी ने दौराने बहस यह तर्क दिया है कि मृतक की आय 50,000/– मासिक होना बताया है लेकिन उसके द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है जिसके अभाव में मृतक की आय 50,000/– रुपये मासिक होना साबित नहीं है, अतः न्यूनतम वेतन मानकर आय की गणना की जाए। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ए.डब्ल्यू. 03 रमजान अली सुमरो फर्म जी. टैक्स इण्डस्ट्रीज का मालिक है जिसके कथनों एवं प्रस्तुत मस्टर रोल, वेतन विवरण, मृतक के लेजर एकाउंट, फर्म व मृतक के बैंक खातों के स्टेटमेंटों से मृतक को प्रतिमाह 50,000/– रुपये वेतन का भुगतान किया जाना साबित है।

30. सुना गया। मेरे विनम्र मत में जब प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से आय साबित होने की स्थिति में केवल आयकर रिटर्न नहीं भरने से यह नहीं माना जा सकता है कि मृतक की आय साबित नहीं हो। आयकर रिटर्न नहीं भरने पर जुर्माना या दण्ड की वसूली आयकर अधिनियम के तहत हो सकती है, लेकिन

जहाँ तक मुआवजे हेतु आय के निर्धारण का प्रश्न है आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किये जाने से आय को साबित होना नहीं मानने का कोई युक्तियुक्त व वैध आधार नहीं है ।

31. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत ***2010(1) ACTC (Raj.) 56 Vimla Devi (Smt.) & Ors. Vs Managing Director & Ors.*** में यह मत व्यक्त किया है कि "दावाकृत आय आयकर की परिधि में थी लेकिन कोई आयकर अदा नहीं किया, निर्धारित किया कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत व्यतिक्रम फलस्वरूप दाण्डिक परिणाम भुगतने होंगे लेकिन यह आय के दावे को शून्य नहीं कर सकता है ।"

32. प्रार्थीगण की ओर से मृतक की आय के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से मृतक को फर्म जी. टैक्स इण्डस्ट्रीज द्वारा प्रतिमाह 50,000/– रुपये वेतन दिया जाना साबित है । अतः मृतक की मासिक आय 50,000/– रुपये तदनुसार वार्षिक आय रुपये 6,00,000/– निर्धारित की जाती है ।

33. मृतक द्वारा उसके जीवनकाल में दाखिल आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है एवं न ही उसके द्वारा Chapter–VI–A के अंतर्गत धारा 80 की विभिन्न उपधाराओं में अधिकमत 1,50,000/– रुपये की टैक्स छूट सीमा के संबंध में कोई कटौती करवाए जाने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं । मृतक वेतन भोगी कर्मचारी था एवं वेतन भोगी व्यक्तियों हेतु वित्त वर्ष 2022–2023 में स्टेण्डर्ड डिडक्शन के रूप में 50,000/– रुपये की कटौती की जाकर शेष आय रुपये 5,50,000/– कर योग्य आय है । व्यक्तिगत करदाता 60 वर्ष से कम आयु की आयकर की राशि (वित्त वर्ष 2022–2023 के अनुसार) का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता हैः–

क्र.सं.	**आय का स्तर**	**कर की दर**	**कर की राशि**
1.	रुपये 2,50,000	शून्य	
2.	रुपये 2,50,001–5,00,000	5 प्रतिशत	12,500/–
3.	रुपये 5,00,001–10,00,000	20 प्रतिशत	10,000/–
4.	रुपये 10,00,000 से अधिक	30 प्रतिशत	0
		योग –	22,500/–

Add :– Health & Education Cess @ 4% – 900/–

कुल देय आयकर की राशि – 23,400/–

34. अतः कुल वार्षिक आय राशि रुपये 6,00,000/– में से उपरोक्तानुसार कुल देय आयकर की राशि रुपये 23,400/– बतौर वैधानिक कटौतियों के कम की जाकर शेष राशि रुपये 5,76,600/– मृतक की शुद्ध वार्षिक आय निर्धारित की जाती है ।

35. मृतक की आयु 50 वर्ष होने से **सरला वर्मा बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन 2009(2) टी.ए.सी. 677 एस.सी.** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 13 का गुणक उपयोग में लेते हुए मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

36. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्पेशल लिव पीटीशन (सिविल) नंबर 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2017 के अनुसार मृतक की उम्र 50–60 वर्ष के बीच होने से भविष्य में आय की वृद्धि के रूप में 10% राशि जोड़ी जाना उचित प्रतीत होता है । अतः इस प्रकार भविष्य की आय वृद्धि को जोड़ते हुए मृतक की वार्षिक आय 5,76,600 + 10% = 6,34,260/– रुपये होती है ।

37. मृतक पर आश्रित व्यक्तियों में उसकी पत्नी, पुत्री व माता–पिता हैं, मृतक के पुत्र प्रार्थी संख्या 02 व 03 बालिग हैं तथा जिरह में प्रार्थीया ए.डब्ल्यू. 01 श्रीमती रीमा कुमारी ने प्रार्थी संख्या 02 व 03 की स्वयं की आजीविका होना जाहिर किया है जिससे उन्हें मृतक पर आश्रित होना नहीं माना जा सकता है । इस प्रकार मृतक पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या 04 होने से मृतक स्वयं के व्यक्तिगत खर्चे के रूप में 1/4 राशि कटौती की जाना समुचित है । इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय की हानि 6,34,260/– – 1/4 (1,58,565) = 4,75,695/– रुपये तय की जाती है ।

38. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील नंबर 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** में प्रार्थीगण को Loss of consortium में 40,000/–, Loss of estate के रूप में

15,000/– रुपये एवं मृतक के दाह संस्कार मद में 15,000/– रुपये दिलाया जाना, जिसमें प्रत्येक 03 वर्ष की समाप्ति के पश्चात 10–10 प्रतिशत राशि जोड़कर बढ़ाया जाना सिद्धांत प्रतिपादित किया है । उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत वर्ष 2017 का है, जिसे 06 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, जिससे Loss of consortium मद में 20 प्रतिशत, Loss of estate मद में 20 प्रतिशत तथा दाह संस्कार मद में 20 प्रतिशत राशि जोड़कर मुआवजा निर्धारण किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

39. इस प्रकार प्रार्थीगण को दिलवाई जाने वाली प्रतिकर राशि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1.	मृतक की आयु	50 वर्ष 09 माह 27 दिन
2.	गुणक	13
3.	वार्षिक आय भविष्य की आय वृद्धि सहित (रुपए में)	6,34,260/–
4.	मृतक के स्वयं के खर्चों की 1/4 कटौती	1,58,565/–
5.	कुल आय की हानि (4,75,695 X 13)	61,84,035/–
6.	अंतिम संस्कार मद में रुपए	18,000/–
7.	Loss of estate मद में रुपए	18,000/–
8.	Loss of consortium (48,000 X 6) मद में रुपए	2,88,000/–
9.	शव घर तक लाने में हुए खर्च के मद में रुपए	5,000/–
	कुल मुआवजा राशि	65,13,035/–

40. उपरोक्त अनुसार विवाद्यक संख्या 02 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है । अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य ओर परिस्थितियाँ भिन्न होने से हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं ।

<u>विवाद्यक संख्या 03 (क्लेम संख्या 20/2024)</u>

41. ए.डब्ल्यू. 01 इलियास खान ने साक्ष्य दी है कि दुर्घटना में उसके मुह, जबड़े, दाहिने घटने पर गंभीर चोटें लगी तथा शरीर पर जगह–जगह साधारण चोटें कारित हुईं । दुर्घटना के तुरंत पश्चात् उसे राजकीय नाहटा हॉस्पीटल

बालोतरा ले गए, वहाँ पर उसके लगी चोटों का उपचार किया एवं अगले दिन उसे डिस्चार्ज किया तथा उसके जबड़े व दांतों का इलाज करवाने हेतु सलाह दी गई । तत्पश्चात् उसके जबड़े व दांतों का मानसरोवर हॉस्पीटल, बालोतरा में इलाज करवाया । उसके इलाज व्यय हुआ । इलाज हेतु आने जाने में वाहन का खर्चा हुआ । उसे आय की भी हानि हुई । दौराने इलाज पौष्टिक खुराक का भी सेवन करना पड़ा । अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से की गई जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसने आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं । इस कथन को गलत बताया है कि उसके इलाज के संपूर्ण दस्तावेज व बिल पेश नहीं किए हों । इस कथन को सही बताया है कि उसने स्थायी निर्योग्यता संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है ।

42. प्रार्थी ने उसके शरीर पर पाई गई चोटों को साबित करवाये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य में चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 80 प्रदर्शित करवाया है जिसके अवलोकन से प्रार्थी के कुल तीन चोटें साधारण प्रकृति की कारित होना प्रकट होता है । प्रार्थी ने स्थायी निर्योग्यता बाबत् कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है । अतः प्रार्थी को कारित तीन साधारण चोटों के लिए 10,500/– रुपये दिलाया जाना उचित है ।

43. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इलाज के दस्तावेजात से उसके द्वारा राजकीय नाहटा हॉस्पीटल, बालोतरा में व मानसरोवहर हॉस्पीटल, बालोतरा में विभिन्न समयों पर इलाज करवाया जाना प्रकट होता है । डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श 82 के अवलोकन से प्रार्थी का दिनांक 29.11.2023 से दिनांक 30.11.2023 तक राजकीय नाहटा हॉस्पीटल, बालोतरा में भर्ती रहकर इलाज करवाना प्रकट होता है । आहत के कारित चोटों की प्रकृति के मध्यनजर 02 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने पर प्रतिदिन सामान्य व्यय के रूप में 600/– रुपये के हिसाब से कुल 1,200/– रुपये इस मद में दिलाया जाना उचित है । प्रार्थी के कारित चोटों के कारण उसके 02 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उसके साथ कोई न कोई व्यक्ति बतौर परिचारक साथ रहा होगा जिससे एक सहयोगी/परिचारक (attendent) की सेवाओं के मध्यनजर प्रतिदिन 500/– रुपये के हिसाब से कुल 1,000/– रुपये परिचारक सेवा मद में दिलाया जाना उचित समझता हूं ।

44. दुर्घटना में कारित हुई चोटों के इलाज करवाए जाने के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 82 लगायत 87 हैं तथा प्रदर्श 87 इलाज के बिल में वर्णित राशि 21,000/– रुपये दिलवाना उचित है ।

45. प्रार्थी ने राजकीय नाहटा हॉस्पीटल, बालोतरा में व मानसरोवर हॉस्पीटल, बालोतरा में विभिन्न समयों पर इलाज करवाया है जिससे प्रार्थी को इलाज हेतु आने–जाने में अवश्य ही वाहन किराये पर लेना पड़ा होगा जिससे इलाज हेतु आने–जाने में हुए परिवहन व्यय पेटे कुल 2,000/– रुपये दिलाना उचित है ।

46. प्रार्थी को कारित चोटों के मध्यनजर उसे हुई शारीरिक व मानसिक कष्ट व पीड़ा के मद में कुल रुपये 5,000/– दिलाया जाना उचित समझता हूं ।प्रार्थी ने उसके कारित चोटों के कारण चिकित्सीय परामर्श अनुसार कुछ पौष्टिक भोजन लेना उस मद में 50,000/– रुपये खर्च होना बताया है परन्तु यह राशि किसी वाऊचर से समर्थित नहीं है तथापि कारित चोटों को देखते हुए इस मद में 2,000/– रुपये दिलाया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

47. उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी निम्न मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता हैः–

1.	कारित 03 साधारण चोटों के पेटे	10,500/–
2.	अस्पताल में भर्ती रहने पर सामान्य मद में 02 दिन x 600/– प्रतिदिन	1,200/–
3.	परिचारक सेवा मद में 02 दिन x 500/– प्रतिदिन	1,000/–
4.	चिकित्सीय बिल	21,000/–
5.	परिवहन व्यय मद में	2,000/–
6.	शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा मद में	5,000/–
7.	पौष्टिक खुराक मद में	2,000/–
	कुल मुआवजा राशि	42,700/–

48. उपरोक्त अनुसार विवाद्यक संख्या 03 प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है ।

<u>विवाद्यक संख्या 04</u>

49. उक्त विवाद्यक को सिद्ध करने का भार अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी पर था, किंतु अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा उक्त विवाद्यक को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर विवाद्यक को साबित नहीं करवाया है जिससे उक्त विवाद्यक अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के विरुद्ध विनिश्चित किया जाता है ।

<u>अनुतोष</u>

50. चूंकि विवाद्यक संख्या 01, 02 व 03 प्रार्थीगण के पक्ष में तथा विवाद्यक संख्या 04 अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के विरुद्ध निर्णीत किये गये हैं । अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं ।

– आदेश –

51. अतः प्रार्थीगण श्रीमती रीमा कुमारी वगैरह् की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका संख्या 19/2024 अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम स्वीकार कर प्रार्थीगण के पक्ष में **65,13,035/–** (अक्षरे पेंसठ लाख तेरह हजार पैंतीस रुपये मात्र) का एवार्ड पारित किया जाता है ।

52. प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्ततः व पृथकतः कुल राशि **65,13,035/–** (अक्षरे पेंसठ लाख तेरह हजार पैंतीस रुपये मात्र) आवेदन प्रस्तुति दिनांक 10.01.2024 से तावसूली 07 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

53. यदि पूर्व में दोषरहित दायित्व के अधीन कोई राशि अदा की गई है तो वह राशि अवार्ड राशि में समायोजित होगी । अप्रार्थी उपरोक्त राशि का भुगतान 30 दिवस में करे । मुआवजा राशि जमा होने के बाद यदि एक माह की अवधि में प्रार्थीगण द्वारा क्लेम राशि प्राप्त किये जाने हेतु अधिकरण में आवेदन पेश नहीं किया जाये उस स्थिति में जमा संपूर्ण मुआवजा राशि अधिकरण के नाम 06 माह की अवधि के लिए सावधि खाते में जमा करवाई जाये । सावधि खाते में प्रकरण संख्या व प्रकरण का शीर्षक अंकित किया जाये । प्रार्थीगण अविलम्ब स्वयं का बचत खाता खुलवाकर पास बुक की नकल प्रस्तुत करे । जमाशुदा राशि प्रार्थीगण को जरिये बचत खाता अदा हो ।

54. इस राशि में से प्रार्थीगण के पक्ष में निम्नलिखित राशि विवरणिका में

अंकित अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा करवाई जावेः–

प्रार्थी संख्या	03 वर्ष हेतु	06 वर्ष हेतु	09 वर्ष हेतु	12 वर्ष हेतु	कुल राशि
प्रार्थी संख्या 01	10,00,000/–	10,00,000/–	10,00,000/–	10,00,000/–	40,00,000/–
प्रार्थी संख्या 02	50,000/– नकद	–	–	–	50,000/–
प्रार्थी संख्या 03	50,000/– नकद	–	–	–	50,000/–
प्रार्थी संख्या 04	50,000/– नकद 3,00,000/– एफडी	3,00,000/–	–	–	6,50,000/–
प्रार्थी संख्या 05	50,000/– नकद 3,00,000/– एफडी	3,00,000/–	–	–	6,50,000/–
प्रार्थी संख्या 06	50,000/– नकद 3,00,000/– एफडी	3,00,000/–	–	–	6,50,000/–
कुल राशि					60,50,000/–

55. शेष राशि 4,63,035/– रुपये एवं ब्याज, प्रार्थीया संख्या 01 श्रीमती रीमा कुमारी को नकद अदा की जाए ।

56. प्रार्थी इलियास खान की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका संख्या 20/2024 अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में **42,700/–** (अक्षरे बयालीस हजार सात सौ रुपये मात्र) का एवार्ड पारित किया जाता है ।

57. प्रार्थी, अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 से संयुक्ततः व पृथकतः कुल राशि **42,700/–** (अक्षरे बयालीस हजार सात सौ रुपये मात्र) आवेदन प्रस्तुति दिनांक 16.01.2024 से तावसूली 07 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी है ।

58. यदि पूर्व में दोषरहित दायित्व के अधीन कोई राशि अदा की गई है तो वह राशि अवार्ड राशि में समायोजित होगी । अप्रार्थी उपरोक्त राशि का भुगतान 30 दिवस में करे । मुआवजा राशि जमा होने के बाद यदि एक माह की अवधि में प्रार्थी द्वारा क्लेम राशि प्राप्त किये जाने हेतु अधिकरण में आवेदन पेश नहीं किया जाये उस स्थिति में जमा संपूर्ण मुआवजा राशि अधिकरण के नाम 06 माह की अवधि के लिए सावधि खाते में जमा करवाई जाये । सावधि खाते में प्रकरण

संख्या व प्रकरण का शीर्षक अंकित किया जाये। प्रार्थी अविलम्ब स्वयं का बचत खाता खुलवाकर पास बुक की नकल प्रस्तुत करे। जमाशुदा राशि प्रार्थी को जरिये बचत खाता अदा हो। प्रार्थी को उक्त संपूर्ण प्रतिकर राशि बचत खाता के जरिए नकद अदा की जाये।

59. प्रकरण का खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। उपरोक्तानुसार पर्चा एवार्ड मुर्तिब हो।

(एम.आर.सुथार)
न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
बालोतरा

60. निर्णय आज दिनांक 14.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एम.आर.सुथार)
न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
बालोतरा

I checked all the documents are right.
Digitally signed by HITESH MANGNANI
Location: Balotra
Date: 2026.08.18 13:02:27 +0530